15.07.2009

प्रेस विज्ञप्ति

- हमारा बजट आम आदमी, गरीब एवं गांवों को समर्पित है। इसी उद्देश्य के अनुरूप बजट में नये कार्यक्रमों की घोषणाऐं की गई हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप बजट प्रावधान बढ़ाये गये हैं।

- हमारे घोषणा पत्र में 329 संकल्प हैं, जिसमे से बजट में 101 संकल्पों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार की प्रथम 100 दिवस की कार्ययोजना के माध्यम से घोषणा पत्र के लगभग 80 बिन्दुओं को क्रियान्वित किया जा चुका है।

- समस्त non special category states, जिसमें राजस्थान भी शामिल है की **राजस्व आय** में वर्ष 2003–04 से वर्ष 2008–09 की अवधि में लगभग 133 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में हमारे राज्य की राजस्व आय में वृद्धि 114 प्रतिशत ही रही।

- वर्ष 2003–04 की तुलना में 2008–09 में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में 149.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इस अवधि में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वैट लागू करने के बावजूद, केवल 108.86 प्रतिशत बढ़ा है।

- पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्व खाते में सुधार के निम्न कारण रहे हैं :

  - केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई ऋणों की अदला–बदली योजना के कारण ब्याज भुगतान में कमी
  - बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई ऋण समेकन एवं ऋण राहत योजना के कारण ब्याज दायित्वों में कमी एवं मूल ऋण के पुनर्भुगतान में कमी
  - ब्याज दरों में आम गिरावट
  - बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत एवं राजस्थान का हिस्सा 5.473 से बढ़कर 5.609 होना
  - अर्थव्यवस्था में उछाल के कारण अधिक केन्द्रीय अन्तरण

- राजस्व घाटा राज्य के लिये कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1992–93 से वर्ष 2005–06 तक राज्य लगातार राजस्व घाटे में रहा और इस घाटे की पूर्ति capital account से की जाती रही है।

- वर्ष 2008–09 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2009–10 के परिवर्तित बजट में राजस्व घाटे के मुख्य कारण रहे हैं :–
  - वैश्विक मंदी के कारण केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि एवं राज्य के स्वयं की राजस्व आय में कमी होना
  - छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में भारी वृद्धि
  - अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के एरियर का भुगतान किया जाना

- एफ.आर.बी.एम. एक्ट की पालना करने एवं भारत सरकार की ऋण राहत योजना का लाभ उठाने के लिये वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में राजकोषीय घाटे को GSDP के क्रमशः 3.6 प्रतिशत एवं 3.2 प्रतिशत तक ही लाना पर्याप्त था, जबकि इसे क्रमशः 2.67 प्रतिशत एवं 2.01 प्रतिशत रखा गया। अर्थात राज्य सरकार के पास वर्ष 2006–07 में 1389 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2007–08 में 2029 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश करने के लिये fiscal space उपलब्ध था, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया

- भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत Economic Survey वर्ष 2008–09 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान, non-special category States, में एकमात्र ऐसा राज्य है जो वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि में high performing states की श्रेणी में था, और वर्ष 2004–05 से 2007–08 की अवधि में low performing states की श्रेणी में आ गया है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती सरकार की अवधि में दिखावटी खर्चे अधिक किये गये जिसका वास्तविक प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास में परिलक्षित नहीं हो सका।

- वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद केपीटल आउट–ले हेतु प्रावधान में वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 के परिवर्तित अनुमानों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि

की है एवं इस हेतु 6864 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

- वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 की अवधि में तत्कालीन सरकार द्वारा 29191 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में (2004–05 से 2008–09) संसाधनों की समुचित उपलब्धता के बावजूद 30943 करोड़ रुपये के ऋण का बोझ राज्य पर बढ़ाया है। यदि हम ऋण की वार्षिक वृद्धि दर को देखें तो वर्ष 2007–08 में यह 8.42 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009–10 के परिवर्तित बजट में 8.08 प्रतिशत है।

- इस वर्ष की अनुमोदित योजना का आकार 17322 करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर 18634 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। बढ़ी हुई योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की जाकर तद्नुसार बजट में इसके लिये समुचित प्रावधान कर लिया गया है।

- एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित वैट की दरें 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत न्यूनतम (फ्लोर) रेट है। राज्य सरकार को भारत के संविधान के मुताबिक इन दरों में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा गुजरात सरकार द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। अतः 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करना वैट भावना के खिलाफ नहीं कहा जा सकता।

- राज्य के लगभग सभी जिलों में डीएलसी रेट एवं मार्केट रेट के बीच भारी अन्तर है। इससे राजकोष में नुकसान होने के साथ आम काश्तकारों को अपनी जमीन का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। राज्य में 22 जिलों में जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा डीएलसी रेट रिव्यू करना लम्बित है। नियमानुसार यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा एक वर्ष के अन्दर रेट का रिव्यू नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को रेट बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार है।

- जयपुर जिले में 7 नवम्बर, 2007 के बाद डीएलसी रेट का निर्धारण नहीं हुआ है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने डी.एल.सी. रेट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार राज्य के उन जिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिनमें वर्ष 2009 में डीएलसी रेट का निर्धारण नहीं हो पाया है।

नई घोषणाएँ

बजट में मेरे द्वारा की गई घोषणा के अलावा जनभावना के अनुरुप मैं निम्नलिखित प्रस्ताव और प्रस्तुत करता हूँ।

- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ, केवल शारीरिक रुप अक्षम तथा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिये उपलब्ध है। अब बी.पी.एल. परिवार के सदस्य जो निम्न प्रकार के विकलांगता से प्रभावित है उनको भी पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

  1. मानसिक रुप से विमंदित व्यक्ति
  2. बधिर (Deaf)
  3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति

  इससे लगभग 50,000 बी.पी.एल. परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे।

- जालौर, सिरोही में उत्पादित ईसबुगल को कर मुक्त करना प्रस्तावित है तथा भीनमाल में स्थापित ईसबगुल मण्डी को व्यवस्थित की जायेगी। ईसबगुल आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- भू–राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसा कि
  1. राज्य के समस्त पात्र गैर–खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान,
  2. पुराने कब्जों का नियमानुसार नियमन,
  3. राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण,
  4. विभिन्न प्रमाण–पत्रों को जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिये तथा समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष रेवेन्यू कैम्प का आयोजन शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

- उपनिवेशन क्षेत्र में भारी संख्या में, काश्तकारों को आवंटित भूमि के विरुद्ध किश्ते बकाया है। दिनांक 31.12.2009 तक ऐसे काश्तकार, बकाया समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज की शत–प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत रुपरेखा, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

- पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायको से चर्चा कर राज्य में नये कॉलेज की स्थापना तथा मौजूदा कॉलेजों में नये विषयो को शुरु करने के लिये जन सहभागिता के साथ विधायक कोष से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एक समन्वित नीति बनाई जायेगी।

- राज्य में हनुमानगढ़ जिला ऐसा एकमात्र जिला है जहॉ जिला मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज नहीं है। अतः हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर नया सरकारी कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूँ।

- गंगानगर जिले में पुरानी शुगर मिल को स्थानान्तरित कर नई शुगर मिल की स्थापना वर्ष 2007–08 के बजट में घोषणा की गई थी। परन्तु नई मिल का शिलान्यास दिनांक 10.09.2008 को हो पाया है। अब जल्दी ही महाराष्ट्र पैटर्न पर स्थानीय किसानों की का–ऑपरेटिव बनाकर अत्याधुनिक मिल की स्थापना की जायेगी।